प्रेस नोट
दिनांक 23.12.2025

डायल 112– आपात स्थिति में त्वरित सहायता का भरोसाः यू0पी0–112 जन–जागरूकता अभियान के द्वितीय दिवस भी जनपद के विभिन्न थानों में कार्यक्रम आयोजित–

गोण्डा। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को त्वरित, प्रभावी एवं भरोसेमंद आपातकालीन पुलिस सहायता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं यू0पी0–112 के नोडल अधिकारी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में यू0पी0–112 सेवा के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता हेतु संचालित दो दिवसीय विशेष अभियान के द्वितीय दिवस भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के द्वितीय दिन आज दिनांक 23.12.2025 को जनपद के थाना नवाबगंज, थाना वजीरगंज एवं थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख सार्वजनिक एवं भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यू0पी0–112 से संबंधित जन–जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों को आपातकालीन सेवा यू0पी0–112 की उपयोगिता, कार्यप्रणाली, त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदत्त जनहितकारी सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रचार–प्रसार दल द्वारा एलईडी वैन, उद्घोषणा एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति जैसे अपराध, दुर्घटना, महिला उत्पीड़न, आगजनी, स्वास्थ्य आपातकाल अथवा अन्य संकट की स्थिति में यू0पी0–112 पर कॉल कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा यू0पी0–112 की कॉलिंग प्रक्रिया, रिस्पॉन्स टाइम, कॉलर की गोपनीयता एवं समय पर सहायता मिलने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जन–जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को पम्पलेट वितरित कर आपात स्थिति में सही व सटीक सूचना देने, अफवाहों से बचने तथा पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों एवं राहगीरों द्वारा उत्साहपूर्वक सहभागिता की जा रही है तथा नागरिकों के प्रश्नों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है।

उक्त दो दिवसीय जन–जागरूकता अभियान का उद्देश्य जनपद के प्रत्येक नागरिक तक यू0पी0–112 सेवा की जानकारी पहुँचाना, पुलिस–जन सहभागिता को मजबूत करना तथा आपात स्थितियों में त्वरित, प्रभावी एवं भरोसेमंद पुलिस सहायता सुनिश्चित करना है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.12.2025

एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना उमरीबेगमगंज की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 05 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 22,850/– रू0 नकद व परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप व 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना उमरीबेगमगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–275/25, धारा 303(2) से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर चोरो–1. विकाश शुक्ला पुत्र शिव कुमार शुक्ला 02. उमेश चौहान पुत्र राम जीयावन, 03. वृजेश सिंह पुत्र राम सिंह, 04. अजय गुप्ता पुत्र राम बहादुर गुप्ता, 05. राजा मौर्या पुत्र राम कृपाल मौर्या को बाबागंज चौराहे से पी0डी0 बन्धा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22,850/– रू0 नकद व परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप व 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 16/17.12.2025 की रात्रि में थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमदही में अज्ञात चोरों द्वारा सिंह कांस्ट्रेक्शन फर्म के विद्युतीकरण कार्य हेतु रखे गए एल0टी0 लाईन के लगभग डेढ़ बण्डल तार को शिवम सिंह के घर के सामने सड़क किनारे से चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह पुत्र स्व० चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम अमदही थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना उमरीबेमगंज में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 23.12.2025 को थाना उमरीबेमगंज व एस0ओ0जी0 सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अथक मेहतन एवं प्रयासोपरांत चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर चोरो–1. विकाश शुक्ला पुत्र शिव कुमार शुक्ला निवासी चिलबिला खत्तीपुर थाना कोतवाली देहात जिला गोण्डा, 02. उमेश चौहान पुत्र राम जीयावन, नि0 सुखमन पुरवा मौजा ऐली परसौली थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा, 03. वृजेश सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गज सिंह पुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 04. अजय गुप्ता पुत्र राम बहादुर गुप्ता निवासी इमिलिया गुरू दयाल थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 05. राजा मौर्या पुत्र राम कृपाल मौर्या निवासी तोपखाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को बाबागंज चौराहे से पी0डी0 बन्धा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22,850/– रू0 नकद व परिवहन में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप व 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–
पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त वृजेश सिंह पुत्र राम सिंह द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/17.12.2025 की रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत अमदही बाजार से तरबगंज जाने वाले मार्ग पर जेबी सेवा संस्थान अस्पताल से लगभग 100 मीटर पूर्व सड़क किनारे रखे गये बिजली के तारों की चोरी की गई थी। अभियुक्त ने बताया कि घटना से पूर्व उमेश चौहान द्वारा स्थान की रैकी की गई थी। रैकी पूर्ण होने के उपरान्त उमेश चौहान ने दूरभाष के माध्यम से सूचना दी, जिसके बाद अभियुक्त वृजेश सिंह ने अपने साथी अजय गुप्ता, राजा मौर्या एवं विकाश शुक्ला को सूचना दी। तत्पश्चात सभी अभियुक्तगण पिकप वाहन संख्या यू0पी043 ए0टी0 8056 से परसपुर पहुँचे, जहाँ पर उमेश चौहान, शैलेन्द्र श्रीवास्तव

एवं संत बक्श उर्फ शुभम यादव पिकप संख्या यू0पी043 ए0टी0 8110 के साथ मौजूद मिले। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उक्त पिकप वाहन से वे सभी अमदही बाजार पहुँचे तथा वहाँ सड़क किनारे रखे गये तीन बण्डलों में रखे बिजली के तार को चोरी कर पिकप वाहन पर लाद लिया। तत्पश्चात चोरी किये गये तार को तरबगंज होते हुए करनैलगंज ले जाया गया, जहाँ पूर्व से मौजूद राजेश गुप्ता पुत्र अज्ञात, निवासी लखनऊ को वजन कर बेच दिया गया। चोरी किये गये तार का कुल वजन लगभग 3 कुन्तल 12 किलोग्राम था, जिसे ₹38,000/- में बेचा गया। इससे पूर्व भी दिनांक 18.11.2025 की रात्रि में कडहरा जगदीशपुर, थाना कटरा बाजार क्षेत्र में 11 केवी विद्युत तार की चोरी कर उसे भी उपरोक्त कबाड़ी/व्यापारी राजेश गुप्ता को बेचा गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. विकाश शुक्ला पुत्र शिव कुमार शुक्ला निवासी चिलबिला खत्तीपुर थाना कोतवाली देहात जिला गोण्डा।
02. उमेश चौहान पुत्र राम जीयावन, नि0 सुखमन पुरवा मौजा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. वृजेश सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गज सिंह पुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. अजय गुप्ता पुत्र राम बहादुर गुप्ता निवासी इमिलिया गुरूदयाल थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
05. राजा मौर्या पुत्र राम कृपाल मौर्या निवासी तोपखाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 22,850/- रू0 नकद।
02. 01 अदद स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल।
03. 02 अदद पिकअप।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–275/25 धारा 303(2), 317(2),317(4) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–251/25 धारा 303(2), 317(2),317(4) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

<u>थाना उमरीबेमगंज टीम–</u>

01. श्री गोविन्द कुमार प्र0नि0 उमरीबेमगंज।
02. श्री उ0नि0 श्री अंगद सिंह
03. श्री उ0नि0 श्री बृजेश यादव
04. श्री उ0नि0 श्री सुभाष यादव
05. श्री उ0नि0 श्री मुकेश गुप्ता
06. हे0का0 मुस्ताक अहमद
07. हे0का0 रामप्रीत यादव
08. हे0का0 आशुतोष यादव
09. हे0का0 कलेन्द्र यादव
10. का0 जितेन्द्र कुमार
11. का0 सुरेश यादव
12. का0 रविकुमार राय
13. का0 पियूष यादव
14. का0 पारस यादव

15. का0 मुन्नालाल भारती
16. का0 पंकज यादव
17. का0 संजीव कुमार

<u>एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम–</u>

01. श्री गौरव सिंह तोमर प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस
02. हे0का0 रणधीर सिंह
03. हे0का0 अरुण यादव
04. हे0का0 राकेश सिंह
05. हे0का0 बृजेश कुमार
06. हे0का0 श्यामनरायन
07. हे0का0 अमित पाठक(सर्विलांस सेल)
08. हे0का0 रवि यादव
09. हे0का0 हृदय नरायन दीक्षित
10. का0 अंशुमान पाण्डेय
11. का0 अमितेश

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 23.12.2025</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा साई मंदिर से चांदी के मुकुट व नथुनी चोरी होने की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से शतप्रतिशत चोरी का माल (03 अदद मुकुट, 01 अदद नथुनी व 996 रू0 के सिक्के) बरामद–</u>

<u>कार्यवाही</u>
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–1018/25, धारा 331(4),305ए बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों– 01. अनुज मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र राम कृपाल मिश्रा निवासी प्रकाश टेन्ट हाउस के पीछे, तालाब के बगल, काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 02. सन्दीप उर्फ कल्लू कश्यप पुत्र रामू निवासी आसरा आवास थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को आसरा आवास के पास स्थित खण्डहर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद मुकुट सफेद धातु, 01 अदद नथुनी पीली धातु व 996 रू0 के विभिन्न मूल्य के सिक्के बरामद किया गया

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 22.12.2025 को प्रातः लगभग 08:00 बजे थाना कोतवाली नगर, क्षेत्रान्तर्गत कचहरी गेट नं० 03 के सामने स्थित मन्दिर से अज्ञात चोर द्वारा 03 चाँदी के मुकुट, 01 सोने की नथुनी तथा दानपात्र से लगभग 300–400 रुपये चोरी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय पुलिस बल के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ताला तोड़े जाने के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए, जिससे ताला खोलकर चोरी किए जाने की सम्भावना प्रतीत हुई। मंदिर के अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 23.12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अथक मेहतन एवं प्रयासोपरांत चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों 01. अनुज मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र राम कृपाल मिश्रा निवासी प्रकाश टेन्ट हाउस के पीछे, तालाब के बगल, काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, 02. सन्दीप उर्फ कल्लू कश्यप पुत्र रामू निवासी आसरा आवास थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को आसरा आवास के पास स्थित खण्डहर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 03 अदद मुकुट सफेद धातु, 01 अदद नथुनी पीली धातु व 996 रू0 के विभिन्न मूल्य के सिक्के बरामद किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण अनुज मिश्रा उर्फ गोलू व सन्दीप उर्फ कल्लू कश्यप द्वारा बताया गया कि दोनों ने मिलकर कचहरी के सामने हरिनारायण अस्पताल के बगल स्थित साई मन्दिर से मुकुट, नथुनी व दानपात्र में रखे रुपये चोरी किये थे। अभियुक्त अनुज मिश्रा उर्फ गोलू के पिता उक्त मन्दिर में पुजारी होने के कारण अभियुक्त द्वारा मन्दिर की चाभी चुरा ली गई थी, जिससे दोनों अभियुक्तगण मन्दिर के अन्दर प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम देकर मुकुट, नथुनी तथा दानपात्र तोड़कर उसमें रखे रुपये निकाल लिये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. अनुज मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र राम कृपाल मिश्रा निवासी प्रकाश टेन्ट हाउस के पीछे, तालाब के बगल, काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

02. सन्दीप उर्फ कल्लू कश्यप पुत्र रामू निवासी आसरा आवास थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 03 अदद मुकुट सफेद धातु
02. 01 अदद नथुनी छोटी पीली धातु
03. विभिन्न मूल्य के सिक्के कुल ₹996/–

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–1018/25, धारा 331(4),305ए, 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी
02. का0 विनय प्रताप
03. कां0 चन्द्रजीत चौहान
04. कां0 सन्दीप कुमार भारती

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 23.12.2025

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालितः–

गोण्डा। आज दिनांक 23.12.2025 को शासन की मंशा के अनुरूप बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बालिकाओं एवं बालकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 (100 दिवसीय) तक संचालित "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदया सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना एएचटी (एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की संयुक्त टीम द्वारा थाना कर्नलगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत परसा गोण्डरी स्थित हरिकृष्ण ओझा इण्टर कॉलेज, गोण्डरी, जनपद गोण्डा में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्र–छात्राओं को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक दुष्परिणामों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा यह बताया गया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि कानूनन दण्डनीय अपराध भी है। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों, सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा छात्र–छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की तैयारी अथवा घटना की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा संबंधित विभागों को देकर समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अवैधानिक गतिविधि के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक लालबिहारी (थाना एएचटी), उप निरीक्षक गऊचरन, शाखा एसजेपीयू से प्रभारी निरीक्षक प्रियंका मिश्रा, महिला आरक्षी सुनैना वर्मा तथा अपराजिता सामाजिक समिति, गोण्डा से श्री आत्रेय त्रिपाठी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।